प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1183/2016

निर्णय सुरक्षित किया गया : 24.07.2025

निर्णय पारित किया गयाः29.08.2025

1. श्रीमती. राजमुनी, पति स्वर्गीय संजू नायक, 28 वर्ष

2. नाबालिग राज पिता स्वर्गीय संजू नायक, 10 वर्ष

3. नाबालिग रजत पिता स्वर्गीय संजू नायक, 5 वर्ष

4.नाबालिग कु संध्या पति स्वर्गीय संजू नायक, 2 वर्ष 5. ममता पति स्वर्गीय संजू नायक, 22 वर्ष

6. नाबालिग राहुल पिता स्वर्गीय संजू नायक, 1 वर्ष,

7. नाबालिग कु संजना पिता स्वर्गीय संजू नायक, 1 वर्ष 8. रंजीत नायक पिता स्वर्गीय संजू नायक, 28 वर्ष , स्वयं अपीलकर्ता संख्या 1 तथा अपीलकर्ता संख्या 2 उनकी माँ के द्वारा तथा वाद मित्र, अपीलकर्ता संख्या 1 के द्वाराअपीलार्थी सं. 5 स्वयं तथा अपीलार्थी सं. 6 तथा 7 हेतु उसकी माता के द्वारा तथा अपीलार्थी सं. 5 हेतु वाद मित्र

समस्त निवासी गाँव–हरिजन तोला, पालकोट पोस्ट तथा पी. एस. पालकोट जिला–गुमला (जे. एच.), नागरिक तथा राजस्व जिला–गुमला (जे. एच.)

---अपीलार्थी/आवेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. सी. जी. स्टेट सिविल सप्लायर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तहसील कार्यालय परिसर–जशपुर जिला–जशपुर, छत्तीसगढ़ (मालिक),

2. शंकर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह कोयरी, 45 वर्ष व्यवसाय–चालक, गाँव–गदा घमरहिया, तहसील तथा जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ (चालक),

3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, माइक्रो ऑफिस, जशपुर,छत्तीसगढ़ (आक्षेपित वाहन का बीमाकर्ता)

4. पूर्णचंद मिश्रा पिता स्वर्गीय गोपीनाथ मिश्रा, निवासी गाँव–ब्निवासीन टोली,पालकोट जिला–गुमला (जे. एच.) (बोलेरो वाहन का मालिक)

5. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय–पालकोट रोड, गुमला, जिला–गुमला, (जे. एच.), स्थानीय शाखा कार्यालय–प्रियदर्शनी नगर,बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (बोलेरो वाहन का बीमाकर्ता)

---उत्तरवादी/अनावेदक

अपीलार्थियों/दावेदारों हेतु:		**श्री दिव्यानंद पटेल, अधिवक्ता तथा श्री ऋषिकांत महोबिया अधिवक्ता**
उत्तरवादी संख्या 3 हेतु :		**श्री दीपक गुप्ता, अधिवक्ता**
उत्तरवादी संख्या 5 हेतु		**श्री कमरुल अज़ीज़, अधिवक्ता**

माननीय राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, (एफटीसी) जशपुर, जिला – जशपुर, सी.जी. (इसके बाद "दावा अधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा दावा प्रकरण संख्या 25/2014 में पारित दिनांक 29.02.2016 के अधिनिर्णय के खिलाफ दावेदारों द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावेदार संख्या 1 से 4 और 6 और 7 के पक्ष में आवेदन दिनांक से इसकी वसूली तक 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल 7,38,500/– रुपये का क्षतिपूर्ति दिया गया है, जबकि गैर–आवेदक संख्या 1, 2 और 3 पर संयुक्त रूप से और अलग–अलग देयता तय की गई है, जबकि गैर–आवेदक संख्या 3 को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दावा याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार, 14.04.2014 को मृतक संजू नायक, जो लगभग 30 वर्ष का था और चालक के रूप में काम करके 6,000/– रुपये प्रति माह कमाता था, की मृत्यु एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या CG-15-AC-0382 है (जिसे आगे "दुर्घटनाग्रस्त वाहन" कहा जाएगा) को अनावेदक संख्या 2/अपराधी वाहन के चालक, अर्थात् शंकर सिंह द्वारा लापरवाही से चलाने के कारण हुई मोटर वाहन दुर्घटना में हो गई।दुर्घटना के समय, मृतक पंजीकरण संख्या JH01-AT-5784 वाले बोलेरो वाहन में यात्रा कर रहा था, जिसका स्वामित्व गैर–आवेदक संख्या 4 के पास था और वह गैर–आवेदक संख्या 5 – नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित था, जबकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन गैर–आवेदक संख्या 1 – सी.जी. स्टेट सिविल सप्लायर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास था और वह गैर–आवेदक संख्या 3 – बीमा कंपनी द्वारा बीमित था।

3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावेदारों द्वारा 29,25,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा याचिका दायर किए जाने पर, न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, ऊपर उल्लिखित एक निर्णय पारित किया गया है।

4. अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 1 – श्रीमती राजमुनि मृतक संजू नायक की पहली पत्नी हैं और अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 4 उनके बच्चे हैं और उन सभी को विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति दिया गया है।इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 5 – ममता, जो मृतक की दूसरी पत्नी है, भी मृतक की आय पर निर्भर थी, लेकिन उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है, हालाँकि, उसके बच्चों यानी अपीलकर्ता संख्या 6 और 7 को क्षतिपूर्ति दिया गया है, इस प्रकार, अपीलकर्ता

संख्या 5 भी क्षतिपूर्ति का हकदार है।इसी प्रकार, अपीलकर्ता संख्या 8 – रंजीत नायक, जो मृतक का वयस्क भाई है, भी क्षतिपूर्ति का हकदार है।उन्होंने आगे कहा कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय का अनुमान 4,500 रुपये प्रति माह के आधार पर गलत तरीके से लगाया है, जबकि मृतक के कार्य की प्रकृति और दुर्घटना के समय न्यूनतम मजदूरी प्रावधान के अनुसार यह न्यूनतम 5,468 रुपये प्रति माह होनी चाहिए थी।उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि नहीं दी है और अन्य पारंपरिक मदों के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि भी कम है, जिसे उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम एवं अन्य (2018) 18 एससीसी 130, एन. जयश्री एवं अन्य बनाम चोलामंडलम मेसर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) 14 एससीसी 712 और ललिता बनाम एम.आर. सुनीलकुमार एवं अन्य (2014) एससीसी ऑनलाइन कर 12825** में दर्ज मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

5. उत्तरवादी संख्या 3/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार करते हुए कि आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अलग अपील दायर नहीं की गई है, प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मामले के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए दावेदारों को उचित एवं उचित क्षतिपूर्ति प्रदान किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, वह प्रस्तुत करता है कि क्षतिपूर्ति की राशि पर विद्वत दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ब्याज दर अर्थात 9 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है तथा इसे उपयुक्त रूप से कम करने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थियों/दावेदारों हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का समर्थन करते हैं।वह आगे प्रस्तुत करता है कि उत्तरवादी संख्या 5 उल्लंघनकारी वाहन का बीमाकर्ता नहीं है तथा विद्वत दावा न्यायाधिकरण ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् , अनावेदक सं.1,2 तथा 3 पर दायित्व को सही ढंग से निर्धारित किया है जो न्यायसंगत तथा उचित है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. यह स्वीकार किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका मृतक संजू नायक की दोनों पत्नियों (अपीलकर्ता संख्या 1 और 5) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है, जिसमें क्रमशः उनके बच्चों को दावेदार बनाया गया है।अपीलकर्ता संख्या 1 – श्रीमती राजमणि (एडब्ल्यू–01) ने अपने मुख्य परीक्षण में निष्पक्ष रूप से कहा है कि संजू नायक (मृतक) 29 वर्ष का एक स्वस्थ व्यक्ति था और उसके अलावा, उसने अपीलकर्ता संख्या 5 – ममता के साथ भी विवाह किया था और उन दोनों से उनके कुल पाँच बच्चे (अपीलकर्ता संख्या 2, 3, 4, 6 और 7) हैं और आगे कहा कि, मृतक अपनी आय से उनकी देखभाल करता था।

9. अब, विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक की दूसरी पत्नी (आवेदक संख्या 5) क्षतिपूर्ति की हकदार है, हालाँकि उसे मृतक पर आश्रित माना गया था?

10. उक्त प्रश्न पर विचार करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन. जयश्री (सुप्रा) मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करना उचित होगा, जिसमें उसने कंडिका 14 और 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: 14. मोटर वाहन अधिनियम "विधिक प्रतिनिधि" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सामान्यतः, "विधिक प्रतिनिधि" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो विधिक रूप से मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें प्रतिपूरक लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।"विधिक प्रतिनिधि" में वह व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है।ऐसे व्यक्ति का विधिक उत्तराधिकारी होना आवश्यक नहीं है।विधिक उत्तराधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो मृतक की जीवित संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं।विधिक उत्तराधिकारी एक विधिक प्रतिनिधि भी हो सकता है।

"16. हमारे विचार में, "विधिक प्रतिनिधि" शब्द को मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XII के उद्देश्य हेतु एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए तथा यह केवल मृतक के जीवनसाथी, माता–पिता तथा बच्चों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।जैसा कि ऊपर देखा गया है, मोटर वाहन अधिनियम पीड़ितों या उनके परिवारों को वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित एक परोपकारी विधिक है।इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, अधिनियमन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति और इसके विधायी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उदार और व्यापक व्याख्या की माँग करता है।हमारा यह भी मानना है कि दावा याचिका को बनाए रखने के लिए, दावेदार के लिए अपनी निर्भरता की हानि को सिद्ध करना पर्याप्त है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि के पास क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का उपाय होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ललिता (सुप्रा) मामले में कंडिका 49 में भी निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

49. अतः, इस मामले में, तथ्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि मृतक अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था और बच्चे पूरी तरह से मृतक की आय पर निर्भर थे।1988 अधिनियम की धारा 168 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरी पत्नी किसी भी भरण–पोषण की हकदार नहीं है या उसे न्यायाधिकरण द्वारा देय क्षतिपूर्ति से बाहर रखा जाना चाहिए।अतः, 1988 अधिनियम की धारा 168 में परिलक्षित विधायिका की मंशा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि जहाँ मृतक का विधिक प्रतिनिधि है, न कि विधिक उत्तराधिकारी, वह याचिका बनाए रखने का हकदार है और जहाँ 'विधिक प्रतिनिधि' शब्द की परिभाषा में मध्यस्थ शामिल है, दूसरी पत्नी, क्योंकि वह इस तथ्य के आधार पर मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप कर रही होगी कि वह उसकी मृत्यु के समय उसके साथ रह रही थी, वह याचिका बनाए रखने की हकदार होगी।वह आश्रित के रूप में क्षतिपूर्ति की भी हकदार होगी, क्योंकि वह अपने जीवन यापन के लिए उस पर निर्भर थी और उसकी मृत्यु के कारण उसे नुकसान हुआ।साथ ही, पहली पत्नी, जो किसी भी कारण से अलग रह रही थी और भले ही वह मृतक पर आश्रित न हो, एक विधिक रूप से विवाहित पत्नी के रूप में और मृतक की संपत्ति की हकदार व्यक्ति के रूप में भी क्षतिपूर्ति की हकदार होगी।इसी प्रकार, दूसरी पत्नी की पुत्री, भले ही वह नाजायज हो, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार वैध संतान मानी

जाएगी।वह वर्ग-I उत्तराधिकारी के रूप में पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार होगी और उसके द्वारा दायर याचिका को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही उसे क्षतिपूर्ति से वंचित किया जा सकता है। उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसमें कहा गया है कि दूसरी पत्नी द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है, सही नहीं है और इसलिए, इसे अपास्त किया जाना चाहिए।दूसरी पत्नी, जो मृतक पर आश्रित है और उसकी संपत्ति में मध्यस्थ है और जिसे नुकसान हुआ है, वह पहली पत्नी और उसकी बेटी के साथ क्षतिपूर्ति की हकदार है। इसलिए वे सभी क्षतिपूर्ति की हकदार हैं।इसलिए हमें सबसे पहले देय क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करनी होगी और फिर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करना होगा जिन्हें क्षतिपूर्ति देय है और फिर निर्धारित क्षतिपूर्ति में से ऐसे व्यक्तियों को देय राशि निर्दिष्ट करनी होगी।"

12. इसके अलावा, **मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय 2021(2) टीएन एमएसी 169 (सरोजा बनाम पार्वती एवं अन्य) मेंकंडिका 43** में निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया गया :

"43. इसलिए, उपरोक्त सभी मामलों में, की गई चर्चा से पता चलता है कि आश्रितता ही क्षतिपूर्ति देने का मानदंड है।इसलिए, केवल विधिक प्रतिनिधि की स्थिति ही दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।इस प्रकार, क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता का आधार निर्भरता है।यदि कोई विधिक प्रतिनिधि मृतक का आश्रित नहीं है, तो वह निर्भरता के नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है।दावेदार आश्रित हैं या नहीं, इसकी परीक्षा केवल किसी विशेष मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही की जानी चाहिए..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **एक अन्य मामले में,** कर्नाटक उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ नेविविध प्रथम अपील संख्या 7749/2016 दिनांक 07.09.2022 (प्रबंध निदेशक, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन बनाम पी. शांति एवं अन्य) कंडिका संख्या 22 में निम्नलिखितअभिनिर्धारित किया गया :--

"22. वर्तमान मामले में, मृतक की पत्नी अभियोक्ता 1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दावेदार मृतक पर आश्रित हैं और जब पहली पत्नी स्वयं दावेदार संख्या 4 – श्रीमती कामाक्षी के रिश्ते पर विवाद नहीं करती है, तो मृतक के साथ दावेदार संख्या 4 का रिश्ता विवाद का विषय नहीं बनता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावेदार एक साथ रह रहे थे और मृतक पर आश्रित थे और जयश्री के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, हमें आश्रित माना जाता है और हम क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा की गई ¼ की कटौती न्यायोचित है।"

14. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को अनुतोष प्रदान करना है।मोटर दुर्घटना मामलों में पीड़ित को उचित और न्यायसंगत क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय न्यायाधिकरणों को अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और यह भी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का परम कर्तव्य है कि वे देखें कि मोटर दुर्घटना मामलों के पीड़ित या घायल को उचित और युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति

मिले और अधिनियम के तहत उचित क्षतिपूर्ति के रूप में वर्णित राशि का आकलन करते समय, संभावनाओं सहित सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दावा याचिका दायर करने का अधिकार केवल पत्नी, माता–पिता और बच्चों जैसे विधिक उत्तराधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक अर्थ दिया गया है जिसमें मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित सभी आश्रितों को भी शामिल किया गया है।यह देखा जा सकता है कि आश्रितता ही क्षतिपूर्ति देने का मानदंड है और केवल विधिक उत्तराधिकारी की स्थिति ही दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।इसलिए,क्षतिपूर्ति की पात्रता का आधार आश्रितता है।

16. मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी विधि है, और पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से, आश्रितता के सिद्धांत पर उचित विचार किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता संख्या 5 मृतक की पत्नी भी है। मूल्यांकन किया जाने वाला प्राथमिक कारक यह है कि क्या दावेदार मृतक पर आश्रित थे।यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक की दोनों पत्नियों ने अपने वैध और नाजायज बच्चों के साथ मिलकर दावा याचिका दायर की थी। अभिलेखों, विशेषकर मृतक की पहली पत्नी श्रीमती राजमुनि (एडब्ल्यू–01) के बयान से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता संख्या 5, ममता, जो मृतक की दूसरी पत्नी थी, भी मृतक की आय पर निर्भर थीइसलिए, अपीलकर्ता संख्या 5– ममता मृतक पर आश्रित थी और पर्याप्त क्षतिपूर्ति की हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जहां तक अपीलकर्ता संख्या 8– रंजीत नायक, जो मृतक का भाई है और लगभग 28 वर्ष का है, के मामले का संबंध है, वह किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले ही वयस्क हो चुका है और इसके अलावा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह मृतक पर निर्भर था।

18. मृतक– संजू नायक की आय के संबंध में, यद्यपि अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने दावा याचिका में दलील दी है कि मृतक वाहन चालक के रूप में काम करके 6,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था,लेकिन, दावेदारों द्वारा उक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय काल्पनिक आधार पर 4,500/– रुपये प्रति माह निर्धारित की है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में सही नहीं है।अतः, न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों और मृतक के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मैं मृतक की मासिक आय 5,468/– रुपये अर्थात 65,616/– रुपये प्रति वर्ष पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करता हूँ।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि न देकर गलती की है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में न्यायसंगत और उचित नहीं है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी (सुप्रा) मामले में 40 वर्ष से कम आयु के स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 40% राशि पर विचार किया है। इसलिए, वर्तमान मामले में, मृतक की आयु अर्थात न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 30 वर्ष को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए लागू प्रतिशत 40% होगा।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती सरला वर्माएवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121, प्रणय सेठी (सुप्रा) एवं

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड(सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णयों से मार्गदर्शन लेते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना करता है:

स.क.	शीर्ष	गणना (रुपये में)
1	मृतक की आय 5,468/– रुपये प्रति माह	रु.65,616/– प्रति वर्ष
2.	40% उपरोक्त (1) को भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाएगा।	रु.26,246/– रु.65,616/– + रु.26,246/– = रु.91,862/–
3	1/5 मृतक के व्यक्तिगत तथा रहन–सहन के खर्चों के लिए कटौती	रु.18,372/– रु.91,862/– रु.18,372/– =रु.73,490/–
4	17 का गुणक लागू किया जाएगा	रु.73,490 x 17 = रु.12,49,330/–
5	पारंपरिक प्रमुखों की ओर (संपत्ति का नुकसान, अंतिम संस्कार का खर्च तथा संघ का नुकसान)	रु. 2,70,000/ –
कुल क्षतिपूर्ति		रु.15,19,330/–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहां तक उत्तरवादी संख्या 5/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ब्याज के संबंध में दिए गए तर्क का संबंध है, बीमा कंपनी ने इसका विरोध करते हुए कोई अपील दायर नहीं की है, और इसके अतिरिक्त, विचार के बाद, विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज उचित और न्यायसंगत है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

20. अब अपीलकर्ता संख्या 1 से 7/दावेदार, अपीलकर्ता संख्या 8 को छोड़कर, 7,38,500/– रुपये के स्थान पर कुल 15,19,330/– रुपये के क्षतिपूर्ति और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अर्जित ब्याज के हकदार हैं

21. उपरोक्त चर्चा के तहत, मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए और यह कि दावा याचिका एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत दावेदारों द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी, यह निर्देश दिया जाता है कि कुल क्षतिपूर्ति राशि (अर्थात 15,19,330 रुपये) ब्याज के साथ अपीलकर्ता संख्या 1 और 5 अर्थात श्रीमती राजमुनि और ममता को 25:25 के अनुपात में वितरित की जाएगी, जबकि अन्य अपीलकर्ता संख्या 2, 3, 4, 6 और 7 भी 10:10 के अनुपात में क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।यह स्पष्ट किया जाता है कि राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में तब तक जमा रहेगी जब तक कि वे बहुमत प्राप्त नहीं कर लेते है।संवितरण के संबंध में, जैसा कि पहले ही माना गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 और 5 प्रत्येक 25% मुआवजे की राशि के हकदार हैं, जिसमें से क्षतिपूर्ति की आधी राशि उन्हें बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जाएगी और शेष आधी राशि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है तथा आक्षेपित अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur